

सं0 3/35/2012-प्रशा.

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

|||||

ब्लाक-11, 3/4 मंजिल,

लोदी रोड केन्द्रीय कार्यालय परिसर,

नई दिल्ली-110003

दिनांक : जून, 2012

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी सचिव
2. सभी राज्यों के मुख्य सचिव
3. सभी केन्द्रीय पुलिस संगठन
4. सभी केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के प्रमुख
5. सभी राज्यों के निदेशक, अभियोजन

विषय : पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली में सहायक निदेशक (विधि), ग्रुप-क, राजपत्रित, अनुसंचिवीय, वेतनमान ₹० 15,600-39,100/- (नए वेतनमान पीवी-3 ₹० 15,600-39,100/- के साथ ग्रेड पे 6600/-) के एक पद को प्रतिनियुक्ति/सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति अथवा पुनर्नियोजन आधार पर भरने के संबंध में।

महोदय,

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, में सहायक निदेशक (विधि), ग्रुप-क, राजपत्रित, अनुसंचिवीय (साधारण केन्द्रीय सेवा) वेतनमान पीवी-3 ₹० 15,600-39,100/- के साथ ग्रेड पे 6600/-) के एक पद को प्रतिनियुक्ति/सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति अथवा पुनर्नियोजन आधार पर भरा जाना है। संबंधित संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :-

क.	पदों की संख्या	-	01(एक)
ख.	तैनाती का स्थान	-	नई दिल्ली
2.	पात्रता	:	प्रतिनियुक्ति

पुलिस संगठनों सहित केन्द्र/राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी जो

(क) (i) अपने मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित हो, अथवा

(ii) अपने मूल कैडर/विभाग में वेतनमान पीवी-3 ₹० 15,600-39,100/- के साथ ग्रेड पे 5400/-) अथवा समतुल्य के वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो,

अथवा (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव रखता हो :-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री अथवा समतुल्य ।
(ii) विधि कार्यों का 3 वर्ष का अनुभव

सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति अथवा पुनर्नियोजन

२. सशस्त्र बलों के कैप्टन अथवा समतुल्य रैंक के ऐसे अधिकारी जो प्रतिनियुक्ति के लिए शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव रखते हो तथा जो एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त अथवा रिजर्व में स्थानांतरित होने वाले हो, के नामों पर भी विचार किया जा सकता है। यदि ऐसे अधिकारी का चयन होता है तो वह अधिकारी जिस तिथि से सशस्त्र बलों से कार्यमुक्त होगा तब तक के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर रहेगा तत्पश्चात वह पुनर्नियोजन आधार पर नियुक्त होगा। ऐसे मामले में इन पात्र अधिकारियों का बिना किसी उन्नयन के प्रतिस्थापन ग्रेड होगा।

३. पद के लिए अनुभव तथा अपेक्षित कार्य तथा पात्रता से संबंधित शर्तें अनुलग्नक में दर्शाई गई हैं। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। निर्धारित प्रपत्र तथा पात्रता से संबंधित विस्तृत व्योरा पु.अनु.वि.व्यूरो के वैबसाइट डब्लू.डब्लू.डब्लू. बीपीआरडी. जीओवी.इन.'एडमिनिस्ट्रेशन नोटिस' पर उपलब्ध है।


२८ अक्टूबर २०१२

—2/-

4. इच्छुक व उपयुक्त अधिकारियों के आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में अद्यतन गोपनीय रिपोर्टों के साथ इस पत्र के जारी होने के 2 माह के अंदर महानिदेशक, पु. अनु. वि. ब्यूरो के नाम से उपर्युक्त पते पर भिजवा दें : -

5. अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर परिस्थिति व कारणों की जाचं के बाद ही विचार किया जाएगा।

संलग्न : उपरोक्त

भवदीप

(डा. धनी राम)
सहायक निदेशक (प्रशा.)
फोन नं. 24362401 फैक्स-24369825

1. पद का नाम : सहायक निदेशक (विधि)
2. वेतनमान : वेतनमान पीबी—३ रु० 15,600-39,100/- के साथ ग्रेड पे 6600/-)
3. मंत्रालय/विभाग : पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय
4. पात्रता : प्रतिनियुक्ति
पुलिस संगठनों सहित केन्द्र/राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी जो
 - (क) (i) अपने मूल कैडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित हो,
अथवा
(ii) अपने मूल कैडर/विभाग में वेतनमान पीबी—३ रु० 15,600-39,100/-के साथ ग्रेड पे 5,400/-) अथवा समतुल्य के वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो,
 - (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव रखता हों :-
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री अथवा समतुल्य ।
(ii) विधि कार्यों का 3 वर्ष का अनुभव

सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति अथवा पुनर्नियोजन

सशस्त्र बलों के कैप्टन अथवा समतुल्य रैंक के ऐसे अधिकारी जो प्रतिनियुक्ति के लिए शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव रखते हो तथा जो एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त अथवा रिजर्व में स्थानांतरित होने वाले हो, के नामों पर भी विचार किया जा सकता है । यदि ऐसे अधिकारी का चयन होता है तो वह अधिकारी जिस तिथि से सशस्त्र बलों से कार्यमुक्त होगा तब तक के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर रहेगा तत्पश्चात वह पुनर्नियोजन आधार पर नियुक्त होगा ऐसे मामले में इन पात्र अधिकारियों का बिना किसी उन्नयन के प्रतिस्थापन ग्रेड होगा ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें इसी अथवा किसी अन्य संगठन/केन्द्रीय सरकार के विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल होगी, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी) प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण के लिए अधिकतम आयु इस कार्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।)

- 5.उत्तर दायित्व एवं कार्य सहायक निदेशक (विधि)
के पद के लिए संलग्न
1. वर्तमान कानूनों एवं प्रक्रिया की अपर्याप्तता का अध्ययन ।
2. मंत्रालयों से प्राप्त कानून व अन्य संबंधित नए अधिनियम से संबंधित नए अधिनियम से संबंधित प्रस्तावों की विधिक जांच ।
3. आपराधिक कानून और व्यवस्था से संबंधित विषय के प्रस्तावों पर अनुसंधान ।
4. आपराधिक न्याय प्रणाली व आपराधिक कानून से संबंधित समस्याओं पर अनुसंधान व आपराधिक कानूनों में हुए अद्यतन विकास के आंकड़ों पर आधारित सूचनाएं तैयार करने के साथ सभी विधि संबंधी मामलों की जांच

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली में सहायक निदेशक (विधि), के पद का प्रतिनियुक्ति/ आमेलन अधार पर/सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन-पत्र

|||||

1. नाम व पता :
(बड़े अक्षरों में)
2. जन्मतिथि :
(ईसवी सन् में)
3. केन्द्रीय/राज्य सरकार के नियमानुसार :
सेवानिवृत्ति की तारीख
4. शैक्षिक योग्यता :
5. क्या इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं पूर्ण हैं (यदि कोई योग्यता नियमों में निर्धारित योग्यता के समतुल्य मानी गई हो तो उसके प्राधिकारी का नाम बताएं) :

		<u>अपेक्षित अनुभव/</u> <u>योग्यता</u>	<u>अधिकारी द्वारा प्राप्त</u> <u>अनुभव/योग्यता</u>
<u>अनिवार्य</u>	(1) (2) (3)		
<u>वांछनीय</u>	(1) (2)		

6. कृपया बताएं कि आपके द्वारा ऊपर की गई प्रविष्टियों को मद्देनजर रखते हुए क्या आप इस पद के लिए अपेक्षित योग्यताएं रखते हैं :

7. क्रमानुसार नियुक्तियों का ब्लौरा, यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त हो तो कृपया विधिवत अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित एक अलग शीट संलग्न करें :-

क्र.सं	कार्यालय/संस्थान/ संगठन	धारित पद	से	तक	वेतनमान तथा मूल वेतन	कार्य का स्वरूप (विस्तार से)

8. वर्तमान नियुक्ति का स्वरूप जैसे तर्द्ध अथवा अस्थायी अथवा स्थाईवत् अथवा स्थायी

9. यदि वर्तमान नियुक्ति प्रतिनियुक्ति/करार आधार पर धारण किए हों तो कृपया बताएं ---
 (क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख :
 (ख) प्रतिनियुक्ति/करार पर नियुक्ति की तारीख :
 (ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम जिससे आप संबंधित हैं :
10. वर्तमान नियुक्ति से संबंधित अतिरिक्त विवरण, कृपया बताएं कि आप निम्नलिखित में से किस में कार्यरत हैं :
 (क) केन्द्रीय सरकार
 (ख) राज्य सरकार
 (ग) स्वायत्त संगठन
 (घ) सरकारी उपक्रम
 (ड.) विश्वविद्यालय
 (च) अन्य
11. कृपया बताएं कि क्या आप इसी विभाग में कार्यरत हैं तथा फीडर ग्रेड अथवा फीडर से फीडर ग्रेड में हैं।
12. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं ? यदि हाँ तो तारीख दें कि कब से संशोधन हुआ और संशोधन से पूर्व के वेतनमान का भी उल्लेख करें :
13. प्रतिमाह ली जाने वाली कुल परिलब्धियां :
14. अतिरिक्त सूचना यदि कोई हो, जिसका आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहें।
 इनमें से कुछ अन्य विषयों पर सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है :
 (i) अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता
 (ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं
 (iii) उपरोक्त रिक्त पद के लिए निर्धारित परिपत्र/विज्ञापन के अनुसार कार्य अनुभव।
- (नोट - यदि स्थान पर्याप्त नहीं है तो एक शीट अलग से संलग्न की जा सकती है)
15. कृपया बताएं कि आप प्रतिनियुक्ति(आईएसटीसी)/आमेलन/पुनर्नियुक्ति आधार पर आवेदन कर रहे हैं (केवल केन्द्र/राज्य सरकारों में कार्यरत अधिकारी ही आमेलन के लिए पात्र होंगे। गैर सरकारी संगठनों के अभ्यर्थी केवल लघु अवधि अनुबंध के लिए पात्र हैं।)
16. क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं ?
17. क्या आप सरकार द्वारा घोषित अल्पसंख्यक सामुदाय मुस्लिम, क्रिस्चन, सिक, बुद्धिस्ट या जोरोशस्त्रियन(पारसी) से संबंधित है ?
18. टिप्पणी (अभ्यर्थी को निम्नलिखित से संबंधित सूचना देनी होगी कि क्या उनका कोई
 (i) अनुसंधान पत्र, रिपोर्ट तथा विशेष परियोजना प्रकाशित हुई है
 (ii) पुरस्कार/अध्येतावृत्ति/अधिकारिक प्रशंसा
 (iii) व्यावसायिक ईकाई/संस्थानों/संस्थाओं से मान्यता तथा
 (iv) अन्य कोई सूचना
 (नोट - यदि स्थान पर्याप्त नहीं है तो एक शीट अलग से संलग्न की जा सकती है)

मैंने उपरोक्त पद के लिए दिए गए परिपत्र/विज्ञापन को ध्यानपूर्वक देखा है। मेरे द्वारा दिया गए आत्मवृत्त विवरण तथा संबंधित प्रलेखों के बारे में पूरी तरह की जानकारी रखता हूं तथा चयन के समय चयन समिति द्वारा अपेक्षा करने पर मेरे द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
 फोन नं. :
 मोबाइल
 पता

प्रति हस्ताक्षर
 (नियोक्ता) मोहर के साथ.....

आवेदक के कार्यालय प्रमुख द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी द्वारा दिया गया उपर्युक्त विवरण सही है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक/विभागीय जांच लंबित/अवेक्षित नहीं है तथा वह सतर्कता की दृष्टि से ठीक है।
3. वह सत्यनिष्ठ है।
4. यह प्रमाणित किया जाता है कि पिछले 10 वर्षों में उसको कोई छोटा/बड़ा दंड नहीं दिया गया है।
5. आवेदक की अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट/ गोपनीय रिपोर्टों की सत्यापित प्रतियां (प्रत्येक पृष्ठ) भारत सरकार के अवर सचिव रैंक के स्तर के अधिकारी द्वारा सत्यापित संलग्न हैं।
6. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के विरुद्ध कोई न्यायिक मामाला लंबित नहीं है।

(कार्यालय प्रमुख)
 नाम-
 टेलिफोन नं0-
 फैक्स नं0-
 कार्यालय मोहर के साथ